

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक:- मुख्या/याता./संचा./2020/ 93

दिनांक: 21.03.2020

कार्यालय-आदेश

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.7 (94) परि/नियम/मु./2020/6477 दिनांक 21.03.2020 के अनुसरण में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित समस्त वाहनों का दिनांक 22.03.2020 को प्रातः 7.00 बजे से दिनांक 31.03.2020 तक संचालन को बंद (Lock down) किया जाता है ।

इस दौरान निगम की कार्यशालाएं एवं कार्यालय भी बंद (Lock down) रहेंगे ।

उक्त दिवसों में निगम के सभी अधिकारीगण/मुख्य प्रबन्धक/इकाई प्रभारी मोबाईल एवं Whatsapp पर उपलब्ध रहेंगे ।

इसके साथ ही सभी मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि जो वाहन आज रात्रि में संचालित हो रही है उन वाहनों को आगार की कार्यशाला में लाने के लिए सभी सम्बन्धित चालक एवं परिचालकों से सम्पर्क कर उन्हें आगार कार्यशाला में पार्किंग करावें ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(एम.पी.मीना)


कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक:- मुख्या/याता./संचा./2020/ 93

दिनांक: 21.03.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक-माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव-अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
3. परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, रापनि, मु. जयपुर
5. महा प्रबन्धक (), रापनि, जयपुर ।
6. उप महा प्रबन्धक ()/सचिव निगम, रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
7. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला,.....
8. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम,.....
9. आदेश पत्रावली ।


(एम.पी.मीना)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)